



Neutral Citation No.- 2026:AHC:60476

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5183 वर्ष 2026

फरज़ाना और 3 अन्य

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अनिल कुमार शर्मा, कपिल कुमार
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई।
2. वर्तमान आवेदन दिनांक 21.05.2025 के संज्ञान आदेश और मुकदमा संख्या 3594 वर्ष 2024 (राज्य बनाम फरज़ाना और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 137 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 323, 325, 452, 504, 506 आईपीसी, थाना कोतवाली, जिला इटावा से संबंधित है और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा के समक्ष लंबित है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदकों को विपक्षी पार्टी संख्या 2 द्वारा केवल उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा कथित रूप से कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पक्षों के बीच कुछ संपत्तियों को लेकर एक दीवानी मुकदमा लंबित है, जिसके कारण आवेदकों को मनगढ़ंत कहानी के आधार पर फंसाकर वर्तमान आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि घायलों को लगी चोटें मामूली प्रकृति की हैं, सिवाय एक उंगली में फ्रैक्चर के, जो पक्षों के बीच हुई कहासुनी में गिरने से लगी थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों के विरुद्ध कथित घटना की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं हैं। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि निष्पक्ष जांच किए बिना, संबंधित जांच अधिकारी ने आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संबंधित विद्वान न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना संज्ञान लिया। उक्त आरोपपत्र पर किया गया अपराध विधि का दुरुपयोग है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन में की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आवेदकों की ओर से उठाए जाने वाले तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित होगा और इनमें साक्ष्यों का मूल्यांकन शामिल होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि संज्ञान लेते समय केवल प्रथम दृष्टया मामले को ही देखा जाना चाहिए और संबंधित न्यायालय से लघु विचारण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि संज्ञान लेने/समन जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को केवल अभिलेखों पर मौजूद सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया राय दर्ज करनी होती है, और उनसे लघु विचारण करने या अभियुक्त के बचाव की परीक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एस.डब्ल्यू. पलानितकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2002) 1 एस.सी.सी. 241** के मामले में दिए गए निर्णय में यह धारित किया गया था कि लागू किया जाने वाला परीक्षण यह था कि क्या "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" है, न कि क्या "दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार" है। **नूपुर तलवार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य; (2012) 11 एससीसी 465** के मामले में यह दोहराया गया कि कार्यवाही शुरू करने के चरण में सामग्री पर विचार करने का सीमित उद्देश्य अस्थायी होता है, जो मुकदमे के दौरान प्रस्तुत वास्तविक साक्ष्य से भिन्न होता है। इस चरण में लागू होने वाला परीक्षण यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी गई सामग्री "आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त" है, न कि "दोष को सिद्ध करने और स्थापित करने के लिए पर्याप्त"। संज्ञान लेने के चरण में, न्यायालय का प्राथमिक ध्यान यह निर्धारित करने पर होता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यानी क्या यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि कोई अपराध किया गया है, न कि मामले या साक्ष्य के गुण-दोष में गहराई से जाने पर।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपर्युक्त कानूनी स्थिति पर इस न्यायालय के हालिया निर्णय में भी विचार किया गया है, जो दिनांक 6.5.2024 को अनुच्छेद 227 के अंतर्गत संख्या 3254, 2024 (कैलाश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) मामले में पारित निर्णय में दिया गया है।
7. एफआईआर, आरोपपत्र, जांच के दौरान दर्ज बयान, चोट की रिपोर्ट आदि के रूप में अभिलेख उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने और मामले के तथ्यों को देखने के बाद, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय में प्रस्तुत सभी दलीलें विवादित तथ्य के प्रश्न से संबंधित हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बीएनएसएस के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं किया जा सकता है।
8. उपरोक्त कारणों के आधार पर, इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
9. अंत में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदकों को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिस पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
10. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस आवेदन का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय को यह निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदक आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं और जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उनकी जमानत याचिका पर सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाए और निर्णय लिया जाए।
11. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि आज से चार सप्ताह तक उपर्युक्त मामले के अनुसरण में आवेदकों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

23 मार्च, 2026

विवेक कुमार

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)